

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

मदनलाल बनाम कजोडा

किस्म मुकदमा:- इजराय आदेश -21 नियम-11 नम्बर 29 सन 2025
 जी.सी.एम.एस. नम्बर:- 2025/356

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/10/2025	इजराय सीमे से बाद जाँच पेश हुई। अधिवक्ता डिक्रीदार उपस्थित। इजराय दर्ज रजिस्टर कि जाकर डिक्री एवं निर्णय की प्रति तहसीलदार बिजौलियां को भेजकर पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली वास्ते पालना रिपोर्ट दिनांक 28./.11./2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा	
28/10/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक परिषद बिजौलियों द्वारा कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली दिनांक 18/11/25 को वास्ते ...पत्रावली...रिपोर्ट...पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियों	
18/11/25	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते पालना रिपोर्ट आगामी दिनांक 2/12/25 को पेश हो।	
2/12/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक परिषद बिजौलियों द्वारा कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली दिनांक 29/12/25 को वास्ते ...पत्रावली...रिपोर्ट...पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	Adjourned by bar Council Bijoliya
29/12/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक परिषद बिजौलियों द्वारा कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली दिनांक 19/1/26 को वास्ते ...पत्रावली...रिपोर्ट...पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियों	

19/1/2026

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक परिषद विज्ञापितियों द्वारा कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली दिनांक 9/2/2026 को वास्ते पालना रिपोर्ट पेश हो।

उपस्थित अधिकारी विज्ञापितियों

9/2/26

पत्रावली पेश हुई, तद्विलम्बर विज्ञापितियों से प्राप्त रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें झमल इशामद होना बताया गया, रिपोर्ट संगन पत्रावली नम्बर से उम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपस्थित अधिकारी
विज्ञापितियों



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा

क्रमांक/रीडर/2025/1953

दिनांक: 28/10/2025

प्रेषित:-

तहसीलदार
बिजौलियां।

विषय:- इजराय प्रकरण संख्या 29/25 मदन बनाम कजोड़ी की पालना किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इजराय प्रकरण संख्या 29/25 मदन बनाम कजोड़ी की पालना की पालना बाबत मूल वाद प्रकरण संख्या 30/2020 वात्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय दिनांक 16.07.2025 के निर्णय एवं डिक्री की छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

अतः किसी अन्य न्यायालय का स्थगन इत्यादि नहीं होने पर नियमानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट दिनांक 28.10.2025 से पूर्व इस न्यायालय को भिजवाने की सुनिश्चितता करें।

संलग्न:- निर्णय एवं डिक्री की फोटो प्रति एवं नक्शा ट्रेस।



(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां